

अनुमण्डल दण्डाधिकारी-सह-किराया नियंत्रक का न्यायालय पोडाहाट, चक्रधरपुर।  
जे.बी.आर.सी. वाद संख्या 01/2008

पी.सी.कर  
पिता-स्व० बामन चन्द्र कर  
निवासी वार्ड सं०-०८  
पुरना बस्ती, चक्रधरपुर

बनाम

नियोजन पदाधिकारी  
नियोजनालय चक्रधरपुर

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
	<p>प्रस्तुत वाद की कार्रवाई आवेदक श्री प्रफुल्ल चन्द्र कर के आवेदन के आलोक में जी.बी.आर.सी. की धारा-७ के तहत प्रतिपक्ष सहायक निदेशक अवर प्रादेशिक नियोजनालय के विरुद्ध मकान भाडा बढ़ाव हेतु वाद दायर किया गया। उक्त वाद में सुनवाई के उपरान्त दिनांक 12.09.2011 को किराया बढ़ाव हेतु का आदेश दिया जिसमें Initial किराया 500/- रु० से बढ़ाकर 3000/- रु० किया गया। इस आदेश के विरुद्ध उपायुक्त, प० सिंहभूम, चाईबासा ने उक्त H.R.C. Appeal No. of 2012-13 सहायक निदेशक अवर प्रादेशिक नियोजनालय के द्वारा दायर किया गया। उपायुक्त, प० सिंहभूम, चाईबासा ने उक्त H.R.C. Appeal No. of 2012-13 में आदेश पारित करते हुए वाद को पुनः सुनवाई हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-मकान किराया नियंत्रक, पोडाहाट चक्रधरपुर के यहाँ पुनः सुनवाई कर आदेश हेतु Remand कर दिया। जो इस न्यायालय में 18.05.2013 को पुनः सुनवाई हेतु वाद प्रारम्भ किया गया। वाद का संक्षिप्त इतिहास निम्नवत् है -</p> <p>चक्रधरपुर के वार्ड सं०-८ के होरिडिंग नं०-216 का अंश आवेदक के द्वारा प्रतिपक्षकार को दिया गया था। सुरुवाती दौर में वाद सम्पत्ति 28'10" X 11' 05" का हॉल है एवं एक पैसज है, एक कुर्ची, लेटरिन और बाथरूम और एक कॉमन रूम है। सुरुवाती दौर में उक्त मकान का किराया 300/- रु० था जो कि वाद के निर्णय के समय पर उक्त मकान का किराया 500/- रु० था जो तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-मकान किराया नियंत्रक, कनीय अभियंता, नगर परिषद के प्रतिबंध आदेश दिनांक 12.09.2011 के आलोक में 3000/- रु० किया गया। उपायुक्त, प० सिंहभूम, चाईबासा विभिन्न तिथियों पर विचार करते हुए सुनवाई हेतु Remand किया गया। आवेदक के अनुसार हॉल की लम्बाई 28'10" X 11'05" और उसके साथ बाथरूम, लेटरिन है, परंतु कनीय अभियंता के अनुसार किराये के मकान का क्षेत्रफल 525 Sq है। उभय पक्ष ने अपने दावों को दिनांक 13.02.2018 को रखा। इसके पूर्व नियोजन पदाधिकारी स्वयं उपस्थित होकर यह स्वीकार किये कि किराये के मकान का पूर्व निर्धारण 3000/- रु० किया गया वह सही है और मुझको आपत्ति नहीं है। आवेदक का कहना है कि पूर्व में जो किराया निर्धारण 2011 में किया गया है उस पर उसे आपत्ति नहीं है। दोनों पक्षों के साथ जो जमाने के वाद मेरा यह मत होता है कि वाद मकान किराया 3000/- रु० प्रतिमाह होना चाहिए। बड़े हुए किराये का मुगताम आदेश की तिथि से होगा।</p>	

लेखापित

*Devi*  
27.3.18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी  
-सह-  
किराया नियंत्रक  
पोडाहाट चक्रधरपुर

*Devi*  
27.3.18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी  
-सह-  
किराया नियंत्रक  
पोडाहाट, चक्रधरपुर